

सेवा में,

महालेखा (कैम्पिभ पावर प्लांट ह०),  
बिहार, पटना

पटना, दिनांक .....

विषय:- औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, २०११ के अंतर्गत विभिन्न औद्योगिक ईकाइयों को ₹ १२,८५,२०२/- (कुल बारह लाख पचासी हजार दो सौ दो रूपए मात्र) के अनुदान के राशि की निकासी एवं भुगतान की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि औद्योगिक प्रो० नीति, २०११ के अंतर्गत राज्य स्तरीय समिति के द्वारा दिनांक-२२.०९.१६ की बैठक में लिए गए निर्णय तदनुसार बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक-३८६७ दिनांक-२५.१०.१६ के आलोक में निम्नांकित औद्योगिक ईकाइयों को उनके नाम के सामने अंकित विवरण के अनुसार डी०जी०सेट/कैम्पिभ पावर प्लांट अनुदान की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-

क्रमांक	ईकाई का नाम/ पता	अनुदान की राशि
१	सर्वश्री भगवती इण्डस्ट्रीज, वृहत् औद्योगिक प्रांगण, बरारी, भागलपुर	₹ २,६२,५९२/-
२	मेसर्स अनुज न्यूट्रीटेक प्रा० लि०, माधोपुर, पो०-मनेर, पटना	₹ ८,२६,५८८/-
३	मेसर्स ब्रजेश्वरी शिव इन्टरप्राइजेज, बांदीपुर, पनशाला, नौबतपुर, पटना	₹ १,९६,०२२/-
	कुल	₹ १२,८५,२०२/-
(कुल बारह लाख पचासी हजार दो सौ दो रूपए मात्र)		

(i) ईकाई न्यूनतम ५ वर्षों तक कार्यरत रहेगी। यदि ५ वर्षों के अंदर ईकाई बिना किसी औचित्य के बंद होती है तो भुगतान की गई राशि सूद समेत ईकाई से वसूल की जाएगी।

(ii) ईकाई द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों/ प्रमाण-पत्रों/ अभिलेखों के भविष्य में गलत पाए जाने एवं अनुदान की गणना में त्रुटि पाए जाने पर अनुदान की राशि वसूल कर ली जाएगी।

२. उक्त राशि का व्यय वहन उद्योग विभागीय राज्यदेश संख्या-२४९२, दिनांक-११.०७.२०१६ एवं आवंटनादेश संख्या-४१/आ० दिनांक-१९.०७.२०१६ के आलोक में मांग संख्या-२३ के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-२८५२-उद्योग, उपमुख्य शीर्ष-८०-सामान्य, लघु शीर्ष-१०२-औद्योगिक उत्पादकता, उपशीर्ष-०१६०-प्री-प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड- P2852801020160 राज्य योजना स्कीम कोड-IND-5432 विषय शीर्ष ३३ ०१ सब्सिडी मद में आवंटित राशि से की जाएगी।

३. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे।

क०प०उ०

4. इस राशि को नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से होगी।
5. इस राशि को नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को "पूर्व प्राप्ति रसीद" पर कोषागार फार्म संख्या 25 पर की जाएगी।
6. इस राशि को नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से संबंधित ईकाइयों को डिमाण्ड ड्राफ्ट/RTGS/NEFT के माध्यम से की जाएगी।

ह0/-  
उद्योग निदेशक,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-.....

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया ड्राफ्ट पर ईकाई के नाम के साथ-साथ खाते का विवरण भी अंकित किया जाए।

ह0/-  
उद्योग निदेशक,  
बिहार, पटना


ज्ञापांक-3996

पटना, दिनांक 08.11.16

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, बिहार, पटना / सभी संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र / कार्यकारी निदेशक, बियाडा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- लेखा शाखा, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना / योजना शाखा, प्रशाखा-01 (सरकार) आई0 टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना / सभी संबंधित ईकाइयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
उद्योग निदेशक,  
बिहार, पटना